अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 50)

[28 दिसम्बर, 2023]

सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क के अधिरोपण या उसमें वृद्धि से संबंधित विधेयकों के उपबंधों को सीमित अवधि के लिए तुरंत प्रभावी करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 2023 है ।

परिभाषा ।

2. इस अधिनियम में, "घोषित उपबंध" से किसी ऐसे विधेयक का उपबंध अभिप्रेत है, जिसके संबंध में धारा 3 के अधीन कोई घोषणा की गई है ।

केन्द्रीय सरकार की घोषणा करने की शक्ति ।

3. जहां सरकार की ओर से संसद् में पुर:स्थापित किया जाने वाला कोई विधेयक, टैरिफ वर्गीकरण में परिवर्तन सहित या उसके बिना सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क के अधिरोपण या उसमें वृद्धि के लिए उपबंध करता है वहां केन्द्रीय सरकार, उस विधेयक में यह घोषणा अंत:स्थापित करा सकेगी कि लोक हित में यह समीचीन है कि ऐसे अधिरोपण या वृद्धि से संबंधित विधेयक का कोई उपबंध, इस अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होगा ।

www.LinkingLaws.com

इस अधिनियम के अधीन की घोषणाओं का प्रभाव और उनकी अवधि ।

4. (1) किसी घोषित उपबंध को, उस दिन की समाप्ति पर ही तुरंत विधि का बल प्राप्त हो जाएगा, जिस दिन इसे अन्तर्विष्ट करने वाला विधेयक पुर:स्थापित कर दिया जाता है ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, किसी घोषित उपबंध का विधि का बल तब समाप्त हो जाएगा,—

(क) जब वह संशोधन सहित या रहित किसी अधिनियमिति के रूप में प्रवृत्त हो जाता है ; या

(ख) जब केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा पारित किसी प्रस्ताव के अनुसरण में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे कि उसका विधि का बल समाप्त हो जाएगा ; या

(ग) यदि खंड (क) या खंड (ख) के अधीन उसका विधि का बल पहले ही समाप्त नहीं हुआ है, तब उस दिन के पश्चात्, पचहत्तरवें दिन की समाप्ति पर, जिस दिन इसे अन्तर्विष्ट करने वाला विधेयक पुर:स्थापित किया गया था ।

कतिपय मामलों में वापस किया जाना ।

5. (1) जहां कोई घोषित उपबंध, उस दिन के पश्चात्, जिस दिन इसे अन्तर्विष्ट करने वाला विधेयक पुर:स्थापित किया गया था, पचहत्तरवें दिन की समाप्ति के पूर्व संशोधित होकर किसी अधिनियमिति के रूप में प्रवर्तन में आता है, वहां सभी ऐसे संगृहीत शुल्क वापस कर दिए जाएंगे, जो यदि अधिनियमिति में अंगीकृत उपबंध, घोषित उपबंध होता, तो संगृहीत नहीं किए जाते :

परन्तु वह दर, जिस पर इस उपधारा के अधीन कोई शुल्क वापस किया जाए, घोषित उपबंध में प्रस्तावित ऐसे शुल्क की दर और विधेयक पुर:स्थापित करने के समय प्रवृत्त ऐसे शुल्क की दर के बीच के अन्तर से अधिक नहीं होगी ।

(2) जहां धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन किसी घोषित उपबंध का विधि का बल समाप्त हो गया है वहां सभी ऐसे संगृहीत शुल्क वापस कर दिए जाएंगे, जो यदि उस उपबंध के बारे में घोषणा न की गई होती तो, संगृहीत नहीं किए जाते ।

निरसन ।

6. अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 का निरसन किया जाता है । 1931 का 16

---

www.LinkingLaws.com